न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम्, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–210 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
ढलाराम पुत्र राणाराम जति कुम्हार प्रजापति निवासी– सजाड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र राणाराम उम्र 50 वर्ष 2. लालाराम पुत्र राणाराम उम्र 50 वर्ष 3. मूंगीदेवी पत्नि राणाराम फौत के कायम मुकाम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जातियान कुम्हार प्रजापति निवासी सजाड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 4. भूमि पति तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री सी.एस. चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2विप्रार्थीगण 1 से 2 स्वयं एवं 4 के पैरोकार उप.।

आदेश

दिनांक-- 07.09.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा खारा महेचान, तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 662 रकबा 1.2054 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 664 रकबा 1.6423 हैक्टेयर कुल रकबा 2.8477 हैक्टेयर तथा मौजा सजाड़ा के खसरा संख्या 412 रकबा 0.7443 हैक्टेयर एवं मौजा बामणी के खसरा संख्या 31/1 रकबा 3.1551 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 2 रिकॉर्ड खातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम उक्त खेतों में ढलाराम के स्थान पर हल्का पटवारी द्वारा भूलवश से शकराराम पुत्र राणाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर शकराराम पुत्र राणाराम के स्थान पर ढलाराम पुत्र राणाराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि मौजा खारा महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 662 रकबा 1.2054 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 664 रकबा 1.6423 हैक्टेयर कुल रकबा 2.8477 हैक्टेयर तथा मौजा सजाड़ा के खसरा संख्या 412 रकबा 0.7443 हैक्टेयर एवं मौजा बामणी के खसरा संख्या 31/1 रकबा 3. 1551 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 2 रिकार्डड की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है, कि विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम ढलाराम के स्थान पर शकराराम गलत प्रविष्टि हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है,कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शकराराम न होकर ढलाराम है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज शकराराम के स्थान पर ढलाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 662 रकबा 1.2054 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 664 रकबा 1.6423 हैक्टेयर कुल रकबा 2.8477 हैक्टेयर एवं मौजा सजाड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 412 रकबा 0.7443 हैक्टेयर तथा मौजा बामणी के खसरा संख्या 31/1 रकबा 3. 1551 हैक्टेयर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम शकराराम पुत्र राणाराम इन्द्राज है, जबकि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम शकराराम इन्द्राज हो रखा है, क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ढलाराम है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शकराराम न होकर ढलाराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है जिसका प्रार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम ढलाराम दुरूस्त करवाने का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ढलाराम है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा– बीमा कंपनी रसीद, आधार कार्ड प्रति,भामाशाह कार्ड प्रति,जन आधार प्रति, सहकारी किसान कार्ड प्रति, बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

डायरी प्रति, मनरेगा जॉब कार्ड प्रति में प्रार्थी का नाम ढलाराम पुत्र राणाराम अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 1 से 2 को कोई उजर–ऐतराज नहीं है तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने हेतु विप्रार्थी की पूर्ण सहमति है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम. शकराराम पुत्र राणाराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ढलाराम पुत्र राणाराम है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में शकराराम के स्थान पर ढलाराम दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा खारा महेचान तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 662 रकबा 1.2054 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 664 रकबा 1.6423 हैक्टेयर कुल रकबा 2.8477 हैक्टेयर एवं मौजा सजाड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 412 रकबा 0.7443 हैक्टेयर तथा मौजा बामणी के खसरा संख्या 31/1 रकबा 3.1551 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि शकराराम पुत्र राणाराम के स्थान पर ढलाराम पुत्र राणाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07-09-22 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:55 IST
Reason: SelfAttested